517/ 2017

06/8/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीनी अधिवक्ता अनुपस्थित। विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थीनी की ओर से गलत तथ्यो के आधार पर विवादित आराजी पर एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। उक्त स्थगन आदेश की आड़ मे विप्रार्थी को अनावश्यक परेशान किया जा रहा है। प्रार्थीनी अधिवक्ता येन-केन प्रकार से प्रकरण को लंबित करने के लिए उपस्थिति नही दे रहे है,जो प्रकरण मे बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे। विप्रार्थी अधिवक्ता के कथनो पर बाद गौर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होता है। विप्रार्थी अधिवक्ता जवाब पेश नही करना चाहते है,जो विप्रार्थी का जवाब बन्द किया जाता है। तत्पश्चात उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीनी की ओर से बिना बंटवाड़ा करवाए संयुक्त खातेदारी भूमि होने के उपरांत भी राजस्व वाद अंतर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया गया तथा न्यायालय श्री के समक्ष अपूर्ण तथ्य बताते हुए एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया। उक्त स्थगन आदेश की आड़ मे विप्रार्थी को परेशान किया जा रहा है। इस कारण प्रार्थीनी स्थगन आदेश प्राप्ति करने की हकदार नही है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि प्रार्थीनी का आवेदन सारहीन तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावे।

हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मूलवाद में स्थाई निषेघाज्ञा जारी करवाने का अनुतोष चाहा गया है,जो कि मूलवाद में साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर तय होगा कि वादीनी/प्रार्थीनी राहत प्राप्त करने के हकदार है अथवा नही। लेकिन हस्तगत प्रकरण में स्थगन आदेश को जारी रखा जाना उचित प्रतीत नही होता है,क्योकि विवादित आराजी खसरा संख्या 128 रकबा 284.09 बीघा संयुक्त खातेदारी मे अवस्थित है,जिसमे प्रार्थीनी द्वारा अपने हिस्से की भूमि का विशिष्ट भू भाग बताते हुए वादपत्र पेश किया गया है और विशिष्ट भू भाग पर स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है,जबकि विधिवत बंटवाड़ा नही होने तक प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर हक हिस्सा माना

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

जाता है। इस प्रकार प्रार्थीनी विशिष्ट भू भाग पर जारी स्थगन आदेश को बहाल नही रख सकती है। इसके अलावा प्रार्थीनी द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त किए लगभग 07 वर्ष से भी अधिक समय लिया जा चुका है,लेकिन आदिनांक प्रकरण को निस्तारण नही करवाया जा रहा है।

उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पंहुचा है कि प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो ही बिन्दु प्रार्थीनी के पक्ष में नहीं बनते है।

लिहाजा प्रार्थीनी का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सारहीन तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा